FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

...त.....मुकाम.....भरतपुर.....

.....श्यामलाल.....बनाम.....शान्तिस्वरूप .....

...स्म मुकदमा.....225.....नं0 .....54.....सन्.....2021.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
02.07.2021	अभिभाषक अपीलाण्ट उपस्थित। अभिभाषक अपीलाण्ट ने एक पक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलाण्ट का कथन है कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत करते हुये, खसरा नम्बर 643/0.26 एवं 524/0.30 वाके ग्राम रामसिंहपुर पालकी तहसील नगर के किसी भी प्रकार से रिकार्ड व मौके में हस्तक्षेप व व्यवधान पैदा नहीं करने का अनुतोष चाहा गया था। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नम्बर 643 के संबंध में तो प्रार्थना स्वीकार कर ली परन्तु खसरा नम्बर 524/0.30 बाबत् कोई रिलीफ नहीं दी गयी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर 643/0.26 के साथ–साथ खसरा नम्बर 524/0.30 वाके ग्राम रामसिंहपुर पालकी तहसील नगर के राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति कायम रखने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अपीलाण्ट के तर्को पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.06.2021 एक अन्तरिम स्थगन आदेश है, जो दिनांक 16.07.2021 तक का है। प्रकरण में, अपीलाण्ट के पास समुचित अवसर था कि वह अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष, उनके आदेश दिनांक 22.06.2021 के विरूद्ध नजदीक तारीख पेशी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी आपत्ति दर्ज करवाता। इस अवसर का उपयोग किये बिना, अपील में आना परिहार्य है। वादकरण की बहुलता यथा सम्भव टालने योग्य है। अपीलाधीन आदेश एक अन्तरिम आदेश है एवं विधि अनुसार अन्तरिम स्थगन आदेश के विरूद्ध अपील सामान्यतः संधारणीय नहीं है। अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट संधारणीय नहीं होने के कारण ग्राह्यता स्तर पर ही खारिज की जाती है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय को भी निर्देश दिए जाते हैं कि वह उभयपक्ष को सुन कर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का विधि अनुरूप अधिकतम एक माह में निस्तारण करें तब तक उभयपक्ष विवादित आराजी खसरा नम्बर 643/0.26 के साथ–साथ खसरा नम्बर 524/0.30 वाके ग्राम रामसिंहपुर पालकी तहसील नगर पर भी राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। निर्णय आज दिनांक 02.07.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। 02.07.2021 (अखिलेश कुमार पिपल) आर0ए0एस0 राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर	